

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर

वित्त (नियम) विभाग, मुख्यालय

क्रमांक:एफ4(13)/वित्त/नियम/09./2015/9792

दिनांक 26.10.2015

कार्यालय आदेश

निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 48/2015 दिनांक 06.10.2015 के अनुसरण में वित्तीय शक्तियों से सम्बन्धित पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या एफ-4(13)वित्त/नियम/09/2011/5138 दिनांक 28.07.2011 एवं 5034 दिनांक 28.07.2015 को अधिलंघित करते हुए निगम अधिकारियों को प्रदत्त संशोधित वित्तीय शक्तियों का एक सेट (19 पृष्ठ) आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आदेश के साथ संलग्न है।

प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का क्रियान्वयन निगम संचालक मण्डल के निर्णय दिनांक 06.10.2015 से लागू होगा।


(राजेश यांदव)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक:एफ4/वित्त/नियम/09./2015/9792

दिनांक:— 26.10.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1— निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक रारापप निगम मु0 जयपुर।
- 2— कार्यकारी निदेशक () रारापप निगम मु0 जयपुर।
- 3— महा प्रबन्धक () संयुक्त महा प्रबन्धक() रारापप निगम मु0 जयपुर।
- 4— उप महा प्रबन्धक () कार्यकारी प्रबन्धक() रापनि0 मु0 जयपुर
- 5— उप महा प्रबन्धक (आई.टी.)निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 6— निगम सचिव, राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर
- 7— मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0 रारापप निगम ——————
- 8— लेखाधिकारी (बजट)/सुरक्षा अधिकारी रारापप निगम मु0 जयपुर।
- 9— मुख्य प्रबन्धक /प्रबन्धक (वित्त) रारापप निगम ——————
- 10— सहायक लेखाधिकारी () रारापप निगम मु0 जयपुर।
- 11— रक्षित पत्रावली।


(जी.डी.व्हास)
वित्तीय सलाहकार

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न अधिकारियों
को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों

1. निगम वाहनों की खरीद
 (i) चैसिस / बसों की खरीद

अधिकारी	प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ
अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार (निगम मण्डल द्वारा अनुमोदित चैसिस क्रय योजना के अनुसार)
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार (निगम मण्डल द्वारा अनुमोदित चैसिस क्रय योजना के अनुसार)

- (ii) स्टाफ़ कार, टैक्सी, ट्रक, जीप एवं अन्य वाहनों का क्रय

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार

- (iii) बस बॉडी निर्माण अनुबन्ध

अध्यक्ष	बॉडी निर्माण समिति की संस्तुति पर सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	बॉडी निर्माण समिति की संस्तुति पर सम्पूर्ण अधिकार

- (iv) निविदाएँ / प्रोफार्मा (कोटेशन) खुलने के बाद फर्मों से विशेष सूचना, शर्तें एवं दरों में कमी करने के संबंध में व्यवहार/वार्तालाप करने हेतु

स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को सम्पूर्ण अधिकार	
---	--

2. क्रय मरम्मत हेतु खर्चा स्वीकृत करने का अधिकार

- (i) प्लांट तथा मशीनरी कार्यालय एवं अन्य उपकरण, फर्नीचर तथा फिक्चर एवं अन्य पूँजीगत वस्तुओं का क्रय

अध्यक्ष	क्रय समिति की संस्तुति पर सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	क्रय समिति की संस्तुति पर सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	25,000 रु. प्रत्येक मामले में 50,000 रु. वार्षिक, टूल्स एवं प्लांट्स हेतु
महा प्रबन्धक	10,000 रु. प्रत्येक मामले में, 40,000 रु. वार्षिक, 'अधिकार क्षेत्र में आने वाले आगार हेतु टूल्स एवं प्लांट्स के लिए
मुख्य उत्पादन प्रबन्धक	10,000 रु. प्रत्येक मामले में 40,000 रु. वार्षिक टूल्स एवं प्लांट्स, फर्नीचर कार्यालय उपकरण हेतु
मुख्य प्रबन्धक	10,000 रु. प्रत्येक मामले में 40,000 रु. वार्षिक टूल्स एवं प्लांट्स, फर्नीचर कार्यालय उपकरण हेतु

- (ii) निगम में सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वाहनों की रिकण्डीशनिंग तथा बड़ी एसम्बली एवं वाहनों की बाहरी एजेन्सियों से पूर्ण मरम्मत करवाना

- अ. खुली निविदाएँ आमंत्रित करने पर

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	-
महा प्रबन्धक	-
मुख्य उत्पादन प्रबन्धक	35,000 रु. प्रत्येक मामले में

ब) सीमित निविदाएँ मांगने पर

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	75,000 रु. प्रत्येक मामले में, लेखा शाखा की वित्तीय सहमति से
महा प्रबन्धक	30,000 रु. प्रत्येक मामले में 75,000 रु. वार्षिक लेखा शाखा की सहमति से
मुख्य उत्पादन प्रबन्धक	30,000 रु. प्रत्येक मामले में, केन्द्रीय कार्यशाला की समिति की सहमति से
मुख्य प्रबन्धक	25,000 रु. प्रत्येक मामले में, आगार समिति की सहमति से

(iii) हल्के वाहनों के मामले में अधिकृत प्रतिनिधि संस्थान से

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष (प्रशासन) 25,000 रु. प्रत्येक मामले में
महा प्रबन्धक	—
मुख्य उत्पादन प्रबन्धक	15,000 रु. तक प्रत्येक मामले में 45,000 रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	10,000 रु. तक प्रत्येक मामले में 45,000 रु. वार्षिक

(iv) ब्रेक डाउन की स्थिति में बिना स्थानीय निविदाओं के

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	
महा प्रबन्धक	5,000 रु.
मुख्य उत्पादन प्रबन्धक	—
मुख्य प्रबन्धक	5,000 रु. प्रबन्धक (स) द्वारा सत्यापित किये जाने की स्थिति में प्रत्येक मामले में, 30,000 रु. वार्षिक

(v) निगम के डीजल पम्प लगाने तथा पम्पों के किराये खर्च की स्वीकृति

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार

(vi) केन्द्रीय भण्डार से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सीमित निविदाएँ आमंत्रित करते हुए

यात्री वाहनों के कलपुजों एवं एसेसरीज खरीद का व्यय

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	2 लाख रु. प्रत्येक मामले में
विभागाध्यक्ष	—
महा प्रबन्धक	—
मुख्य उत्पा. प्रबन्धक	मुख्यालय द्वारा निर्धारित सीमा तक
मुख्य प्रबन्धक	मुख्यालय द्वारा निर्धारित सीमा तक

अधिकारी

प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ

(vii) बजट प्रावधान के अनुरूप मशीनों, फर्नीचर, सामग्री, कार्यालय उपकरणों आदि के रख-रखाव पर खर्च

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष (प्रशासन) 50,000 रु. वार्षिक
महा प्रबन्धक	--
मुख्य उत्पा. प्रबन्धक	5,000 रु. प्रत्येक मामले में 30,000 रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	5,000 रु. प्रत्येक मामले में एवं 20,000 रु. वार्षिक

(viii) वाहन तथा मशीनरी के आकस्मिक खर्च

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष (प्रिटिंग प्रेस) 50,000 रु. वार्षिक
महा प्रबन्धक	15,000 रु. तक लेखा विभाग की सलाह पर
मुख्य उत्पा. प्रबन्धक	5,000 रु. प्रत्येक मामले में एवं 30,000 रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	5000 रु. प्रत्येक मामले में, 30,000 रु. वार्षिक,

(ix) माल की समय से अधिक रुकावट का हर्जाना/घाट पर माल उतारने व चढ़ाने के शुल्क की स्वीकृति

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	10,000 रु. प्रत्येक मामले में वित्तीय सलाहकार की सहमति से
महा प्रबन्धक (भण्डार/क्रय)	10,000 रु. वित्तीय सलाहकार की सलाह पर प्रत्येक मामले में
मुख्य उत्पा. प्रबन्धक	2,000 रु. प्रत्येक मामले में
मुख्य प्रबन्धक	--

(x) निगम वाहन के दुर्घटना या प्राकृतिक विपदा से निकालने पर हुए व्यय की स्वीकृति

अध्यक्ष	--
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	--
महा प्रबन्धक	15,000 रु. प्रत्येक मामले में
मुख्य उत्पा. प्रबन्धक	10,000 रु. प्रत्येक मामले में
मुख्य प्रबन्धक	10,000 रु. प्रत्येक मामले में

(xi) आय उत्पन्न अनुबन्ध

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	--
महा प्रबन्धक	--
मुख्य उत्पा. प्रबन्धक	10,000 रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	10,000 रु. वार्षिक

अधिकारी	प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ
3. विशेष पथ कर तथा अन्य करों का भुगतान	
(i) निगम वाहनों का विशेष पथ कर/निगम एवं अनुबन्धित बसों का विशेष पथ कर	
अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक विभागाध्यक्ष (वित्तीय सलाहकार)	सम्पूर्ण अधिकार

(ii) आकस्मिक अनुबन्ध संचालन जैसे शादी, पार्टी, समूह इत्यादि के लिए विशेष पथ कर

विभागाध्यक्ष (याता)	सम्पूर्ण अधिकार
मुख्य प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार

(iii) अन्तर्राज्जीय संचालन के लिए कर

विभागाध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
मुख्य प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार

(iv) किसी भी अधिकृत अधिकारी को किसी भी प्रकार के अग्रिम कर का भुगतान

अध्यक्ष प्रबन्धक निदेशक	- वित्तीय सलाहकार की सलाह पर सम्पूर्ण अधिकार
-------------------------------	---

(v) सरकार द्वारा निर्धारित पथ कर, अनुज्ञा पत्र, शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान (नवीनीकरण)

विभागाध्यक्ष (याता)	सम्पूर्ण अधिकार
मुख्य प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार

(vi) सरकार द्वारा निर्धारित भवन एवं भूमि कर, राजस्थान वाणिज्यिक कर तथा अन्य करों का भुगतान

वित्तीय सलाहकार	सम्पूर्ण अधिकार
-----------------	-----------------

(vii) सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित चुंगी, राजस्थान बिक्री कर तथा अन्य करों का भुगतान

अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक वित्तीय सलाहकार महा प्रबन्धक (भ.क्रय) मुख्य उत्पा. प्रबन्धक मुख्य प्रबन्धक कार्य. प्रबन्धक (भ./क्रय)	- - सम्पूर्ण अधिकार 30,000 रु. तक प्रत्येक मामले में सम्पूर्ण अधिकार -
	10,000 रु. तक प्रत्येक मामले में

4. बजट प्रावधान के अन्तर्गत भवनों के रख-रखाव, छोटी मरम्मत पर खर्चा
 (i) निविदाएँ आमंत्रित किये बिना

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष (निर्माण)	20,000 रु. प्रत्येक मामले में (दरों की औचित्यता की समीक्षा करने के उपरांत)
महा प्रबन्धक	—
मुख्य उत्पा. प्रबन्धक	10,000 रु. प्रत्येक मामले में, 25,000 रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	10,000 रु. प्रत्येक मामले में, 25,000 रु. वार्षिक

- (ii) निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार तथा निविदाएँ आमंत्रित करते हुए

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष (निर्माण)	2 लाख रु. प्रत्येक मामले में
महा प्रबन्धक	—
मुख्य उत्पा. प्रबन्धक	15,000 रु. प्रत्येक मामले में, 50,000 रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	15,000 रु. प्रत्येक मामले में, 50,000 रु. वार्षिक
कार्य. प्रबन्धक (निर्माण) अधिशासी अभियंता से नीचे का नहीं	50,000 रु. प्रत्येक मामले में

5. लेखन सामग्री, वर्दी तथा अन्य सामान का क्रय

- (i) कपड़े तथा वर्दी एवं पोशाक हेतु अन्य सामग्री का क्रय

अध्यक्ष	क्रय समिति की संस्तुति पर सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	क्रय समिति की संस्तुति पर सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
	क्रय समिति 20 लाख रु. प्रत्येक मामले में

- (ii) प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले कर्मचारियों की वर्दी एवं पोशाक की सिलाई

- अ. निर्धारित मापदण्ड (नोम्स) के अनुसार

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
महाप्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार
मुख्य प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार

ब. मापदण्डों (नोम्स) में परिवर्तन

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
(iii) लेखन सामग्री का क्रय	

अ. प्रपत्रों, टिकिट, सूचनाओं एवं वार्षिक प्रतिवेदनों इत्यादि की छपाई हेतु बड़ी मात्रा में कागज का क्रय

अध्यक्ष	क्रय समिति की संस्तुति पर सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	क्रय समिति की संस्तुति पर सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष (स्टे. भण्डार)	30,000 रु. प्रत्येक मामले में दर अनुबन्ध के अन्तर्गत सम्पूर्ण अधिकार
	क्रय मण्डल 20 लाख रु. प्रत्येक मामले में

ब खुली निविदाएँ आमंत्रित करते हुए स्टेशनरी सामग्री हेतु बड़ी मात्रा में क्रय की स्वीकृति

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष (स्टे.भण्डार)	1,00,000 रुपये प्रत्येक मामले में, दर अनुबन्ध के अन्तर्गत सम्पूर्ण अधिकार

स. सीमित निविदाएँ/ प्रोफार्मा (कोटेशन) आमंत्रित करते हुए स्टेशनरी सामग्री के स्थानीय क्रय की स्वीकृति

अध्यक्ष	1 लाख रु. प्रत्येक मामले में, 5 लाख रु. वार्षिक
प्रबन्ध निदेशक	50,000 रु. प्रत्येक मामले में, 2.50 लाख रु. वार्षिक
विभागाध्यक्ष (स्टेशनरी भण्डार)	20,000 रु. प्रत्येक मामले में, 1,00,000 रु. वार्षिक
महा प्रबन्धक (क्रय-भंडार)	2000 रु. प्रत्येक मामले में, 50,000 रु. वार्षिक
मु. उत्पा. प्रबन्धक	2,000 रु. प्रत्येक मामले में, 20,000 रु. वार्षिक स्टेशनरी हेतु। स्टे. स्टोर मुख्यालय जयपुर से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (NAC) प्राप्त करने के पश्चात तथा 40,000 रु. वार्षिक फोटो स्टेट हेतु
मुख्य प्रबन्धक	2,000 रु. प्रत्येक मामले में, 20,000 रु. वार्षिक स्टेशनरी हेतु। स्टे. स्टोर मुख्यालय जयपुर से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (NAC) प्राप्त करने के पश्चात तथा 40,000 रु. वार्षिक फोटो स्टेट हेतु

(iv) मुद्रण एवं आवरण (बाइप्रिंटिंग) हेतु खर्च

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष (स्टेशनरीभंडार)	50,000 रु. प्रत्येक मामले में दर अनुबन्ध के अन्तर्गत सम्पूर्ण अधिकार
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबन्धक	2,500 रु. प्रत्येक मामले में, 20,000 रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	2,500 रु. प्रत्येक मामले में, 20,000 रु. वार्षिक

अधिकारी	प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ
---------	--------------------------

(v) पुस्तकों नियत अवधि पर निकलने वाली पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि का क्रय

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	5,000 रु. वार्षिक
महा प्रबन्धक	5,000 रु. वार्षिक
मु. उत्पादन प्रबंधक	2,000 रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	2,000 रु. वार्षिक

6. निविदाओं इत्यादि के मामले में अधिकार

(i) बयाना/प्रतिभू राशि मांगे बिना निविदाएँ/प्रोफार्मा (कोटेशन) स्वीकार किया जाना

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की संस्तुति पर सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबंधक	—
मुख्य प्रबन्धक	—

(ii) उचित एवं लिखित कारणों के आधार पर हर्जाना छोड़ना

अध्यक्ष	20,000 रु. हर्जाने की 50 प्रतिशत की सीमा तक
प्रबन्ध निदेशक	10,000 रु. हर्जाने की 50 प्रतिशत की सीमा तक
विभागाध्यक्ष	2,000 रु. हर्जाने की 50 प्रतिशत की सीमा तक
महा प्रबन्धक (क्रय / भंडार)	1,000 रु. वित्त विभाग की सहमति से
मु. उत्पादन प्रबंधक	—
मुख्य प्रबन्धक	—

(iii) प्रतिभू एवं बयाना राशि की जब्ती

निविदाएँ स्वीकार करने वाले सक्षम अधिकार को सम्पूर्ण अधिकार
--

(iv) उचित एवं लिखित प्रमाणों के आधार पर अनुबन्ध तथा आपूर्ति के समय वृद्धि की अनुमति

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	30 दिवस तक
महा प्रबन्धक (क्रय / भंडार)	30 दिवस तक
मु. उत्पादन प्रबंधक	15 दिवस तक
मुख्य प्रबन्धक	—

अधिकारी	प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ
---------	--------------------------

7. विधिक शुल्क, जुर्माना, न्यायालय निर्णय के अन्तर्गत भुगतान इत्यादि की स्वीकृति

(i) एमएसीटी न्यायालय के पारित दावों एवं न्यायालयों द्वारा पारित जुर्माना

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	5,000 रु. प्रत्येक मामले में
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबंधक	—
मुख्य प्रबन्धक	5,000 रु. प्रत्येक मामले में परन्तु स्वीकृत अधिकारी से पुनर्भगुतान प्राप्त करने की अभिशंषा पर

(ii) दोष रहित जिम्मेदारी के विरुद्ध धारा 92 ए/140 की सीमा तक एमएसीटी दावों के पुनर्भरण की स्वीकृति

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	—
कार्य. निदे. (विधि)	उप महा प्रबन्धक (वित्त) की सहमति से सम्पूर्ण अधिकार

(iii) दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावों में समझौता करने की अनुमति

अध्यक्ष	वित्तीय सलाहकार की सहमति से 10 लाख रु. तक प्रत्येक मामले में
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सहमति से 6 लाख रु. तक प्रत्येक मामले में
कार्य. निदे. (विधि)	वित्तीय सलाहकार की सहमति से 3 लाख रु. तक प्रत्येक मामले में
	10 लाख रु. से अधिक के प्रत्येक मामले में निगम मण्डल की अनुमति लेना आवश्यक होगा

(iv) आपराधिक, दीवानी एवं अन्य मामलों में विधि शुल्क का भुगतान

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सहमति से सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

(v) सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में उपस्थित होने पर वरिष्ठ सलाहकार को विधि शुल्क के भुगतान की स्वीकृति

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

(vi) कामगार हर्जना आयुक्त द्वारा कामगार हर्जना अधिनियम 1923 की अनुसूची IV में निर्धारित श्रेणी की अनुरूपता में पारित किये गये निर्णय के आधार पर हर्जने की स्वीकृति

अ. मृत्यु के मामले में

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार (विशेष- मामला निगम मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा)
विभागाध्यक्ष	—

अधिकारी	प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ
---------	--------------------------

ब. स्थायी या सम्पूर्ण अयोग्यता के मामले में

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

स. अस्थायी अयोग्यता के लिए अर्द्धमासिक भुगतान

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
महाप्रबन्धक	—
मु. उत्पादन	—
प्रबंधक	—
मुख्य प्रबन्धक	3 माह तक के लिए

द. मजदूरी भुगतान अधिकारी के निर्णय जो कि अपील किये जाने योग्य नहीं है, का क्रियान्वयन

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	—
विभागाध्यक्ष (प्रशा.)	वित्तीय सलाहकार की सहमति से सम्पूर्ण अधिकार
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन	—
प्रबंधक	—
मुख्य प्रबन्धक	—

(vii) दीवानी तथा श्रम न्यायालयों में लम्बित मामलों में समझौता

अ. जिनमें भुगतान सम्मिलित नहीं हो

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
महाप्रबन्धक	—
मु. उत्पादन	—
प्रबंधक	—
मुख्य प्रबन्धक	—

ब. जब भुगतान सम्मिलित हो

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
महाप्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबंधक	—
मुख्य प्रबन्धक	—

अधिकारी	प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ
---------	--------------------------

(viii) पंच निर्णय के मामलों में शुल्क का भुगतान

अ. पंच को

अध्यक्ष	20,000 रु. महत्वपूर्ण एवं उलझे हुए मामलों में
प्रबन्ध निदेशक	अनुमोदित मापदण्डों के अनुसार
विभागाध्यक्ष	—
महाप्रबन्धक	—
मु. उत्पादन	—
प्रबंधक	—
मुख्य प्रबन्धक	—

ब. अधिवक्ताओं को

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	अनुमोदित मापदण्डों के अनुसार 15,000 रु. तक महत्वपूर्ण एवं उलझे हुए मामलों में
विभागाध्यक्ष	—
महाप्रबन्धक	—
मु. उत्पादन	—
प्रबंधक	—
मुख्य प्रबन्धक	—

(ix) आपराधिक, दीवानी एवं अन्य मामलों में विविध खर्चों (अधिवक्ता की फीस के अलावा) का भुगतान

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सलाह पर सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	10,000 रु. तक प्रत्येक मामले में
मुख्य प्रबन्धक	10,000 रु. तक प्रत्येक मामले में

8. अग्रिमों की स्वीकृति

(i) अधीनस्थ अधिकारियों को स्थायी अग्रिम

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	10,000 रु. तक
सलाहकार	—
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन	—
प्रबंधक	—
मुख्य प्रबन्धक	—

(ii) कानूनी दावें जिनमें निगम एक पक्ष हो

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	10,000 रु. तक
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन	2,000 रु. तक प्रत्येक मामले में
प्रबंधक	—
मुख्य प्रबन्धक	2,000 रु. तक प्रत्येक मामले में

अधिकारी	प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ
(iii) मेलें, सेमीनारों, बैठकों, आयोजनों तथा अन्य कार्यक्रम जो कि निगम द्वारा आयोजित किये जावे	
अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	25,000 रु. प्रत्येक मामले में
महा प्रबन्धक	—
मु.उत्पादन प्रबंधक	5,000 रु. प्रत्येक मामले में
मुख्य प्रबन्धक	5,000 रु. प्रत्येक मामले में

(iv) यात्रा, दौरे पर पेट्रोल, डीजल तथा वाहन की मरम्मत के लिए

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	—
विभागाध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
महाप्रबन्धक / सम्प्र	10,000 रु. तक
कार्य प्रबंधक(चैकिंग)	5,000 रु. तक
मु. उत्पा.प्रबन्धक	—
मुख्य प्रबंधक	5,000 रु. तक

(v) अग्रिम कर का भुगतान

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
महाप्रबन्धक	—
मु. उत्पा.प्रबन्धक	—
मुख्य प्रबंधक	—

(vi) अदृश्य तथा आपातकालीन कार्यों हेतु

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	10,000 रु. तक प्रत्येक मामले में
महाप्रबन्धक	—
मु. उत्पा.प्रबन्धक	10,000 रु. तक प्रत्येक मामले में
मुख्य प्रबंधक	10,000 रु. तक प्रत्येक मामले में

(vii) आपातकालीन आवश्यकता की पूर्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार स्थानीय क्रय

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	50,000 रु. तक प्रत्येक मामले में
महाप्रबन्धक	50,000 रु. तक प्रत्येक मामले में
मु. उत्पादन प्रबन्धक	15,000 रु. तक प्रत्येक मामले में
मुख्य प्रबंधक	10,000 रु. तक प्रत्येक मामले में

अधिकारी

प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ

(viii) माल की समय से अधिक रुकावट का हर्जाना/घाट पर माल उतारने व चढ़ाने का कर देते हुए भेजे हुमाल की सुपुर्दगी लेने हेतु

अध्यक्ष	-
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
महाप्रबन्धक (भण्डार / क्रय)	20,000 रु. तक प्रत्येक मामले में
अन्य महाप्रबन्धक	3,000 रु. प्रत्येक मामले में

(ix) डीजीएस एण्ड डी या एस आर टी यू या केन्द्रीय भंडार क्रय संस्थान या अन्य दर अनुबंधों/ अनुमोदित उचित दर अनुबंधों जिनमें अग्रिम भुगतान की शर्त निहित हो, के मामलों में अग्रिम

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सलाह से सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	1 लाख रु. प्रत्येक मामले में प्रेषण के प्रमाण के आधार पर वि. सलाहकार की सलाह से
महाप्रबन्धक (भ./ क्र.)	1 लाख रु. प्रत्येक मामले में प्रेषण के प्रमाण के आधार पर वि. सलाहकार की सलाह से

(x) अनाज / त्यौहार अग्रिम

अध्यक्ष	-
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार

(xi) यात्रा अग्रिम स्वीकृति

यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत
9. वाहनों, औजारों, कलपुर्जों, यंत्रों, अन्य सामानों तथा दस्तावेजों का निस्तारण

(i) निर्धारित पद्धति के अनुसार कार्यालय दस्तावेजों का ध्वंस

अध्यक्ष	-
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	-
महाप्रबन्धक	-
मु. उत्पा.प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार
मुख्य प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार

(ii) पुराने तथा अप्रचलित टिकटों तथा टिकट किताबें

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	-
महाप्रबन्धक	-

(iii) वाहनों का नकारा घोषित किया जाना

अध्यक्ष	-
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	-
महाप्रबन्धक	निम्न शर्तों के अधीन सम्पूर्ण अधिकार : 1. निगम द्वारा वाहनों के नकारा घोषित करने हेतु निर्धारित की गई अवधि को पूर्ण करने पर 2. वाहनों को नकारा घोषित करने से पूर्व इस हेतु समय-समय पर गठित कमेटी द्वारा वाहन का निरीक्षण एवं प्रमाणित करने पर

अधिकारी	प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ
---------	--------------------------

(iv) नकारा भंडार सामग्री, टायर-ट्यूब्स, फर्नीचर-फिक्चर, कार्यालय तथा विद्युत उपकरणों इत्यादि का निस्तारण

अ. विक्रय दर (आफ सेट प्राईज) का निर्धारण

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
महाप्रबन्धक	—

ब. विक्रय दरों के बराबर या अधिक दरों का अनुमोदन

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	—
विभागाध्यक्ष	—
	नीलामी समिति सम्पूर्ण अधिकार

स. विक्रय दर से कम दरों का अनुमोदन

अध्यक्ष	वित्तीय सलाहकार की सलाह से सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	—
विभागाध्यक्ष	—
महाप्रबन्धक	—

10. प्राप्ति तथा जमा को लौटाने की स्वीकृति

(i) निगम की आय या प्राप्ति

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सलाह से सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

(ii) अनुबंध के बकाया कार्य के लिए सुरक्षा राशि की जमा

	अनुबंध के सफलतापूर्वक पूर्णता पर वित्तीय सहमति के आधार पर अनुबंध करने वाले सक्षम अधिकारी को सम्पूर्ण अधिकार
--	---

(iii) चार्टड बसों के लिए

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	—
विभागाध्यक्ष	—
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पा.	—
प्रबन्धक	—
मुख्य प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार

(iv) अन्य प्राप्तियाँ

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की राय पर सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन	—
प्रबन्धक	—
मुख्य प्रबन्धक	1000 रु. प्रत्येक मासमें

अधिकारी	प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ
---------	--------------------------

(v) प्रमाणित नियमों तथा निर्देशों के अनुसार वास्तविकता तथा लिखित कारणों पर व्यक्तिशः
यात्री को किराया लौटाना

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	—
मुख्य प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार

11. घाटे की कमी इत्यादि को अपलिखित करना

(i) रोकड हानि, भंडार की भौतिक कमी, राजस्व की हानि अटल ऋणों तथा अंकेक्षण वसूलियां

अध्यक्ष	15,000 रु. चोरी या लापरवाही के प्रत्येक मामले में— 75,000 रु. अन्य मामलों में
प्रबन्ध निदेशक	15,000 रु. चोरी या लापरवाही के प्रत्येक मामले में— 75,000 रु. अन्य मामलों में
विभागाध्यक्ष(वित्तीय सलाहकार)	5,000 रु. प्रत्येक मामले में
महा प्रबन्धक	5,000 रु. प्रत्येक मामले में
मु. उत्पादन प्रबन्धक	4,000 रु. प्रत्येक मामले में
मुख्य प्रबन्धक	4,000 रु. प्रत्येक मामले में

(ii) दूषण एवं अप्रचलन के कारण हानि

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सलाह से सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

(iii) प्रबंध या घटत (छीजत) के कारण पेट्रोल, डीजल, आयल तथा लुब्रिकेंट का नुकसान

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सलाह से पूर्ण राशि के 2 प्रतिशत तक
विभागाध्यक्ष	वित्तीय सलाहकार की सलाह से पूर्ण राशि के 1 प्रतिशत तक
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पा. प्रबन्धक.	—
मुख्य प्रबन्धक	—

12. कल्याणकारी व्यय

(i) अपने दिमाग की समर्थता, साहस तथा कुशलता से असाधारण परिस्थितियों में कार्य करने वाले या निगम की प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी स्वरूप आदर्श (दृष्टांत योग्य) सेवा करने वाले या तर्क विचार योग्य बचत करने या घाटे में कमी करने वाले व्यक्तियों को पारितोषिक (प्रतिफल) स्वीकृत किया जाना।

अ. निगम कर्मचारियों को

अध्यक्ष	10,000 रु. प्रत्येक मामले में
प्रबन्ध निदेशक	10,000 रु. प्रत्येक मामले में
विभागाध्यक्ष	—
मुख्य प्रबन्धक	500 रु. प्रत्येक मामले में
	ऐसे मामले निगम मंडल को सूचित किये जायेगे।

ब. अन्य व्यक्तियों को

अध्यक्ष	5,000 रु. प्रत्येक मामले में
प्रबन्ध निदेशक	5,000 रु. प्रत्येक मामले में
विभागाध्यक्ष	—
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पा. प्रबन्धक	—

अधिकारी	प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ
---------	--------------------------

(ii) निगम की व्यवहारिक सेवा करते हुए मृत्यु पर कर्मचारी के पारिवारिक सदस्यों को सहायता राशि को स्वीकृत किया जाना

अ. दुर्घटना

अध्यक्ष	50,000 रु. से अधिक प्रत्येक मामले में
प्रबन्ध निदेशक	50,000 रु. प्रत्येक मामले में
विभागाध्यक्ष	—

ब. प्राकृतिक मृत्यु

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	25,000 रु. प्रत्येक मामले में
विभागाध्यक्ष	—

(iii) राजकीय / अनुमोदित अस्पतालों से चिकित्सा उपचार करवाने पर अग्रिम प्रदान करना तथा व्यय स्वीकृत करना

अ. चिकित्सा मंडल / प्राचार्य मेडिकल कॉलेज द्वारा सिफारिश करने पर / अनुमोदित अस्पताल के अधीक्षक / मुख्य द्वारा अनुमानित व्यय की सिफारिश करने पर

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

ब. आपातकालीन तथा अति आवश्यक मामले जो कि चिकित्सा नियमों के अन्तर्गत नहीं आते

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

13. किराया भाड़ा शुल्क

(i) भाड़े पर ली गई भूमि एवं भवन किराये की स्वीकृति

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
मुख्य प्रबन्धक	2,000 रु. प्रतिमाह

(ii) टैक्सी इत्यादि का भाड़ा

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
मुख्य प्रबन्धक	—

(iii) मेलों, आयोजनों, विशेष संचालनों तथा निगम के कारोबार हेतु टेन्ट फर्नीचर, कार्यालय फर्नीचर, बिजली के सामान इत्यादि का किराया भाड़ा

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	25,000 रु. प्रत्येक मामले में
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पा. प्रबन्धक	—
मुख्य प्रबन्धक	5,000 रु. प्रतिदिन 20 बसों से ज्यादा के संचालन पर 10,000 रु. प्रतिदिन 30 बसों से ज्यादा के संचालन पर
	संचालन के वार्षिक समय हेतु स्थानीय प्रोफार्मा (कोटेशन) आमंत्रित की जाये

अधिकारी

प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ

14. मेले/आयोजनों/मनोरंजन इत्यादि के लिए अन्य अनिश्चित खर्च

(i) विशेष अवसरों जैसे मेलें, त्यौहार एवं इसी प्रकार के अन्य अत्यावश्यक/आपातकालीन अवसरों पर कार्यरत कर्मचारियों को विशेष सुविधा के रूप में वस्तुगत या नकद राशि के व्यय की स्वीकृति

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	50,000 रु.
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पा. प्रबन्धक	—
मुख्य प्रबन्धक	2,000 रु. प्रत्येक मासलें में, 10,000 रु. वार्षिक

(ii) अतिथियों तथा आगन्तुकों का आतिथ्य खर्च

अध्यक्ष	7,000 रु. एक माह में, 50,000 रु. वार्षिक
प्रबन्ध निदेशक	7,000 रु. एक माह में, 50,000 रु. वार्षिक
विभागाध्यक्ष	500 रु. एक माह में, 5,000 रु. वार्षिक
महा प्रबन्धक / समप्र	300 रु. एक माह में, 3,000 रु. वार्षिक
उप महा प्रबन्धक / सचिव	300 रु. एक माह में, 3,000 रु. वार्षिक
कार्यकारी प्रबन्धक (निर्माण)	300 रु. एक माह में, 3,000 रु. वार्षिक
मु.उत्पा. प्रबन्धक	300 रु. एक माह में, 3,000 रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	300 रु. एक माह में, 3,000 रु. वार्षिक
विशेष विवरण	अध्यक्ष या प्रबन्धक निदेशक द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी 250 रु. एक माह में 2,500 रु. वार्षिक

(iii) निगम के अति विशिष्ट अतिथियों के आतिथ्य सत्कार पर खर्च की स्वीकृति

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	10,000 रु. प्रत्येक मासलें में
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पा. प्रबन्धक	—

(iv) कार्यक्रमों, सम्मलेनों, आयोजनों, प्रशिक्षणों तथा बैठकों के मासलें में खर्च

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	10,000 रु. प्रत्येक मासलें में, 20,000 रु. वार्षिक
मु. उत्पादन प्रबन्धक	500 रु. प्रत्येक मासलें में, 5,000 रु. वार्षिक
मु. निष्पादन अधिकारी के.का. अजमेर	1000/- प्रति खुली नीलामी हेतु
मुख्य प्रबन्धक	500 रु. प्रत्येक मासलें में, 5000 रु. वार्षिक

अधिकारी

प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ

(v) दूरभाष के किराये का खर्च

नियंत्रक अधिकारी जिसके अधीनस्थ ये सुविधाएँ हैं उसे सम्पूर्ण अधिकार
--

(vi) पानी एवं बिजली शुल्क

इकाई अधिकारी (प्रभारी) को सम्पूर्ण अधिकार

(vii) निगम के नियमित व्यापार तथा सम्मेलनों, कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, सेमीनार तथा बैठकों इत्यादि के मामलों में अन्य आकस्मिक खर्चों की स्वीकृति

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	50,000 रु. प्रत्येक मामले में
उप महाप्रबन्धक. (प्रशासन)	पोस्टल खर्च हेतु 7,500 रु. तक
मु. उत्पा. प्रबन्धक	1000 रु. प्रत्येक मामले में, 10000 रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	1000 रु. प्रत्येक मामले में, 10000 रु. वार्षिक

(viii) विज्ञापन के प्रकाशन की स्वीकृति

अ. दृश्य विज्ञापन के लिए

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

ब. वग्रीकृत विज्ञापन के लिए

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	—
विभागाध्यक्ष (प्रशा.)	निगम द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार सम्पूर्ण अधिकार
मु. उत्पा. प्रबन्धक	300 रु. प्रत्येक मामले में, 3,000 रु. वार्षिक
कार्य.प्रबन्धक (जन सम्पर्क)	निगम के कार्यकलापों (Aggressive Marketing) हेतु समाचार पत्रों में प्रचार/प्रसार हेतु 5,000 रु. तक मासिक
मुख्य प्रबन्धक	(1) 300 रु. प्रत्येक मामले में, 3,000 रु. वार्षिक (2) नोटिस एवं एनआईटी प्रकाशन हेतु आगार के टर्न ओवर के 0.10 प्रतिशत वार्षिक तक (3) 5,000 रु. तक मासिक (Aggressive Marketing) हेतु क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रचार/प्रसार हेतु

अधिकारी

प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ

15. यात्री सुविधाएँ(i) मार्गों पर जहाँ संभव हो, रेल्वे आउट एजेन्सी प्रारम्भ किया जाना

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

(ii) छात्रों के समूह तथा अन्य व्यक्तियों के ऐसे समूह जो कि विशेष ध्यान रखने के योग्य हों, घटी दरों की स्वीकृति

अध्यक्ष	किराये का 25 प्रतिशत तक
प्रबन्ध निदेशक	किराये का 25 प्रतिशत तक
विभागाध्यक्ष	—

16. विविध (i) निगम कर्मचारियों के समय कालातीत, व्यक्तिगत दावे जो कि 6 वर्ष से ज्यादा पुराने हों तथा निजी पक्षों के आकस्मिक दावे जो कि 3 वर्ष से ज्यादा पुराने हों, की स्वीकृति

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सलाह पर सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

(ii) कोषों (पूंजीगत व्यवहार) को खर्चों के एक मद से दूसरे मद में पुनः बदलने (स्थानान्तरण) की स्वीकृति

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार (निगम मण्डल की आगामी बैठक में सूचित किया जावेगा)
प्रबन्ध निदेशक	—
विभागाध्यक्ष	—

(iii) निगम खातों के चेकों पर हस्ताक्षर

अ. सक्षम अधिकारी से अनुमोदन पर मुख्य खाते से भुगतान

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक तथा वित्तीय सलाहकार	10 लाख रु. से अधिक
वित्तीय सलाहकार	2 लाख रु. से ज्यादा तथा 10 लाख रु. तक ऐसे चैक जिनमें कोई भुगतान निहित न होकर केवल निगम कोष का अंतर बैंकिंग स्थानान्तरण ही किया जाना हो के मामले में केवल वित्तीय सलाहकार
उप महा प्रबन्धक (भुग.)	2 लाख रु. तक

ब. भण्डार विभाग का खाता

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक वित्तीय सलाहकार महा प्रबन्धक (क्रय-भण्डार)	10 लाख रु. से अधिक
वित्तीय सलाहकार महा प्रबन्धक (क्रय-भण्डार)	10 लाख रु. तक
महा प्रबन्धक (क्रय-भण्डार) लेखाधिकारी (भण्डार / भुगतान)	5 लाख रु. तक

अधिकारी

प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ

(iv) छुटियों की घोषणा या अनुमोदन का अधिकार

अ. कार्यालय तथा कार्यशालाओं के लिए छुटियों की सूची का अनुमोदन

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	-

ब.आदेशों से प्रेरित या राज्य सरकार के अनुरोध, जिलाधीश द्वारा घोषित स्थानीय अवकाशों तथा निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट्स एक्ट के अन्तर्गत घोषित छुटियों के अतिरिक्त एक दिन की छुट्टी की घोषणा


अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	-

(v) सलाहकारों की सेवायें लेने हेतु

अध्यक्ष	10 लाख रु. तक
प्रबन्ध निदेशक	10 लाख रु. तक
विशेष विवरण	10 लाख रु. से अधिक के लिये निगम संचालक मण्डल की अनुमति लेना आवश्यक होगा

नोट :

- वित्तीय शक्तियों का उपयोग पथ परिवहन निगम अधिनियम तथा प्रचलित नियमों, विनियमों निगम द्वारा दिये गये निर्देशों तथा उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा तक ही किया जावेगा।
- अधीनस्थ अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग उनसे उच्चाधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है।
- आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा निगम के किसी भी अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है जिसकी सूचना निगम मण्डल की आगामी बैठक में देनी होगी।
- वित्तीय शक्तियों का उपयोग राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।


 (राजेश यादव)
 प्रबन्ध निदेशक